न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या– 94/2017

1. गंगासिंह पुत्र सुरजनसिंह, जाति राजपूत,
निवासी दुगरताउ, तहसील जायल, जिला नागौर _____वादी

बनाम

1. नरपतसिंह
2. जयसिंह
3. रामसिंह
4. हरिसिंह
5. पदमसिंह
6. नारायणसिंह पीसरान सुरजनसिंह
7. सुगनकंवर पत्नि सुरजनसिंह
8. सुप्यार कंवर पत्नि सवाईसिंह,
सभी जाति राजपूत निवासीगण दुगरताउ, तहसील जायल जिला नागौर
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल
10. उपपंजीयन अधिकारी जायल .....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी विभाजन, व स्थाई निषेधाज्ञा
अधीन धारा 88, 53 व 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता– 1. वादी की ओर से श्री जियाराम गोदारा एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की ओर से श्री अंवालाल एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 8 सख्या 10 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादी ने अपनी वंशावली दर्शाते हुऐ कथन किया कि मौजा दुगरताउ में खेत खसरा नं. 109 रकबा 14.09 बीघा तथा अन्य खेताय आये हुऐ है। पारिवारिक बंटवारा के अनुसार यह खेत वादी के बंट में आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 8 ने पारिवारिक समझौता के अनुसार यह खेत वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के बंट में दिया तथा बाद में आपसी बंट के अनुसार यह खेत अकेले वादी के बंट में रखा गया। जिस समझौता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 8 ने अपना हक त्याग दिनांक 22.05.2016 को स्टाम्प पर लिखापढी करवा कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा कर दिया तथा इस लिखावढी में साखें भी सुप्यार कंवर ने डलवा दी। इस खेत पर पहले कब्जा स्व. बन्नेसिंह का था तथा अब कब्जा वादी का है। लेकिन खेत वादी के नाम दर्ज नही होने से दावा घोषणा खातेदारी के लिए पेश किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिनांक 01.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 8 ने वादी को धमकी दी कि इस खेत से वादी का कब्जा हटाउंगी तथा खेत का बेचान करूंगी। इसलिए दावा प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश किया जा रहा है। तथा प्रतिवदी संख्या 9 व 10 को भी पावंद करने के लिए दावा पेश किया है। तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की तरफ से श्री अंबालाल पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा तथा ईकवाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 से 10 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी ईकतरफा ली गई जिसमें शपथ पत्र वादी गंगासिंह, प्रतिवादी नरपतसिंह, पदमसिंह का पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी प्रदर्श 1 तथा लिखापढी दिनांक 22.05.2006 प्रदर्श 2 पेश की गई। वकील वादी ने साक्ष्य बंद की।

बहस वकील वादी की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 8 ने वी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के हक में तर्क करके उनको सुपुर्द कर दी तथा आपसी समझोते में यह भूमि अकेले वादी के बंट में आई है। तथा इसी अनुसार डिक्री प्राप्त करने का वादी हकदार है। हमने वादी के वाद तथा प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजो का अवलोकन किया नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 तथा लिखापढी प्रदर्श 2 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज है लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 ने एक घरेलू समझोते के लिखापढी करके तहत यह भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को दे दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के ईकवाली जवाब से यह प्रकट होता है कि यह भूमि अकेले वादी को बंट में दी हुई है तथा इन तथ्यों की ताईद साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। विशेषकर तब जबकि प्रतिवादी संख्या 8 ने बावजूद तामील रजिस्टर्ड नोटिस के भी न्यायालय में उपस्थित होकर वाद का विरोध नही किया है जिसे उसकी मौन स्वीकृति वाद के लीये माना जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण विवेचन से वादी के वाद की पूर्णतया ताईद होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

1. कि यह घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा दुगरताउ में खेत खसरा नं. 109 रकबा 14.09 बीघा अकेले वादी की खातेदारी की है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned by CamScanner